

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(iii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 8.2.84

NOTIFICATION  
INCOME TAX

No. 5616 (F.No. 203/247/83-ITA. II): In continuation of this Office Notification No. 3712 (F.No. 203/135/80-ITA. II) dated 29-10-80, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purpose of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:-

- i) That the Centre for Organizations Development, Hyderabad will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said Centre will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

CENTRE FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT, HYDERABAD.

This notification is effective for a period of three years from 1-9-1983 to 31-8-1986.

*Received*

(M. G. C. GOYAL)  
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

Malik/

भारत के राजपत्र के भाग I। तथा 3((i)) में प्रकाशनर्थ

भारत सरकार  
वित्त वंशालय  
राजस्व विभाग

दृष्टि दिल्ली निवास 8 - 2 - 84

अधिसूचना  
(आधिक)

सं० 5616

(फ० सं० 203/247/83-आ०क०नि०-11)

इस कार्यालय की

दिनांक 29-10-1980 की अधिसूचना सं० 3712(फ० सं० 203/135/80-आ०क०नि०-11) के सितारिले में, सर्वोच्चाधिकारी की जानकारी के लिए एतदृव्यारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अद्यति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नतिवित संस्था को अधिकार नियम 1962 के नियम 6 के तहत पहिल अधिकार अधिकार अधिकार, 1961 की धारा 35 की उपाधारा (1) के बंद (iii) के प्रयोगों के लिए इन प्राकृतिक तथा अनुशुल्क विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रबंग के अधिन निम्नतिवित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अद्यते :-

1. यह कि सेंटर पॉर आर्गेनाइज़ेशन डिवेलपमेंट, हैदराबाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्रदत्त राशियों का पृथक लेवा रखेगा।
2. यह कि उक्त केन्द्र अपने वैज्ञानिक अनुसंधान वर्षदी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संकेत में प्रति वर्ष 30 लाईल, तथा ऐसे प्रत्येक में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकारित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
3. यह कि उक्त केन्द्र अपनी कुल अस्य तथा व्यक्ति द्वारा अपने संपरीक्षित वार्षिक लेवों की तथा इसनी परिसंपत्तियाँ, डेवारियर्ड व्यापारी हुए तुलन - पत्र की सक - सक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी की प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों के से प्रत्येक की सक - सक प्रति संलिखित अधिकार अनुकूल से भेजेगा।

उस्तु

सेंटर पॉर आर्गेनाइज़ेशन डिवेलपमेंट, हैदराबाद।

यह अधिसूचना 19-1983 से 31-8-1986 तक तीन वर्ष

की अद्यति के लिए प्रभावी है।

अद्यति ३१ अग्स्ट  
(हैदराबाद वैज्ञानिक विभाग )

अवर सचिव, भारत भवान